

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 1236 सन् 2026

आनंद यादव

..... याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

भारत संघ और अन्य

..... उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: ललित कुमार गोंड

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई., गोपाल वर्मा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री ललित कुमार गोंड और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री गोपाल वर्मा को सुना।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्होंने अग्निवीर पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई है।

3. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता को दिनांक 17.01.2026 को जारी किया गया दूसरा कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत किया है, जिसमें याचिकाकर्ता से यह उत्तर देने को कहा गया है कि नियुक्ति निरस्त क्यों न की जाए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यदि आपति अभिलिखित नहीं की गई है, तो याचिकाकर्ता को इस पर आपति अभिलिखित करनी चाहिए।

5. यदि ऐसी आपति अभिलिखित की जाती है, तो न्यायालय को यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि इसका निर्णय विधि के अनुसार ही किया जाएगा।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को **निस्तारित** किया जाता है।

7. आज दायर किए गए निर्देश अभिलेख में ले लिए गए हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए गए।

30 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार,)